RAJYA SABHA

Wednesday, 30th July, 1997/8th Shravana, 1919 (Saka)

The House met at eleven of the clock
The Deputy Chairman in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question NO. 101

दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के लिए राशन भत्ता

*101. **श्री ईश दत्त यादव:**†
श्री रामगोपाल यादव:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को राशन-भत्ता दिए जाने का कोई प्रस्ताव/मांग सरकार के विचाराधीन है अथवा सरकार इस मुद्दे पर कोई विचार करना चाहती है:

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कब तक निर्णय ले लेगी: और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ग) यह मामला पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग को सौंपा गया था परन्तु आयोग दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को राशन भत्ता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है।

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को राशन मनी स्वीकृत किए जाने की प्रार्थना करते हुए दिल्ली पुलिस के कुछ कार्मिकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की है। मामला न्यायनिर्णयाधीन है।

श्री ईश दत्त यादव: मैडम, माननीय गृह मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के संबंध में जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि पांचवें वेतन आयोग ने दिल्ली के पुलिस कर्मियों को राशन भत्ता देने की संस्तुति नहीं की है और इस संबंध में कुछ पुलिस अधिकारियों ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया है, जो विचाराधीन है।

मैडम, दिल्ली में पुलिस के लोगों का असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि समाचारपत्रों से मालूम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 21 जुलाई और 22 जुलाई को "सहारा" में यह छपा है कि "दानिक्स" और "दानिब्स", इसका मतलब है कि दिल्ली-अंडमान-निकोबार सर्विस के सिविल अधिकारी और पुलिस अधिकारी, इन लोगों में रोष व्याप्त हो गया है और इसके कारण संभवतः ये लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं और अगर ये हड़ताल पर चले जाएंगे तो दिल्ली की स्थिति अत्यंत ही भयावह हो जाएगी। महोदया, मेरी जानकारी है कि दूसरे बहुत से राज्यों में पुलिस अधिकारियों को राशन भत्ता दिया जाता है। दिल्ली की पुलिस सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस के लोगों की जो मांग है, जिस तरह से वे लोग आंदोलन की तरफ धीरे-धीरे बढ़ने वाले हैं, इस पर गंभीरता से विचार करके वे उन्हें राशन भत्ता देने की कृपा करेंगे?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता: इस विषय में विचार आज से नहीं बरसों से चल रहा है क्योंकि यह बात सही है कि दिल्ली के जो पड़ौसी राज्य हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इत्यादि, दूसरे जो दूर के राज्य हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन दिल्ली के इन पड़ौसी राज्यों में किसी न किसी शक्ल में पुलिस वालों को राशन एलाऊंस दिया जाता है।

Either they get ration at subsidised rates or they get a lumpsum amount which is calculated and given to them. लेकिन दिल्ली के पुलिस वालों को नहीं मिल रहा है। This matter was represented and agitated by them before the Fifth Central Pay Commission. But it has categorically rejected their plea. It has given some arguments.

As far as the Ministry of Home Affairs is concerned, we, on two occasions, had recommended to the Ministry of Finance that this demand of the policemen should be considered favourably and sympathetically. But that was also turned down by the Finance Ministry. Now, as the reply to the question shows, some policemen belonging to a particular policemen's association in Delhi, have gone to Court and the matter is now there and is *sub judice*. Of course, you may say that it is a technical argument that it is *sub judice*. Perhaps, had it not been *sub judice*, it might have been

† सभा में यह प्रश्न श्री ईश दत्त यादव द्वारा पूछा गया।

possible; I cannot say for certain. But after the Fifth Pay Commission's recommendations came out, in a number of cases pertaining to different categories of employees, including various categories of policemen, some negotiations and discussions have taken place and adjustments have been made and are being made. So, in the case of Delhi Policemen also perhaps it would have been possible -- I don't know -- but the road is now technically and legally blocked since they have gone to court. It is, therefore, *sub judice.*

श्री ईश दत्त यादव: महोदया, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कोर्ट में जाने से सरकार द्वारा उनके पक्ष में निर्णय लेने से कोई कंटेम्प्ट आफ कोर्ट नहीं होगा, न्यायालय की कोई अवमानना नहीं होगी क्योंकि न्यायालय में तो वे इसलिए गए हैं कि उनकी मांगें पूरी कर दी जाएं और सरकार अगर उनके पक्ष में कोई निर्णय लेती है तो कोर्ट की अवमानना नहीं होगी और न सरकार को इससे भयभीत होने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे।

महोदया, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि 21 जुलाई और 22 जुलाई 1997 को जो समाचार प्रकाशित हुआ "सहारा" में, अगर इसमें कुछ भी सत्यता है तो यह चिंताजनक बात है क्योंकि इसमें यह लिखा है कि संघ के कुछ लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और वे नहीं मिले और गृह मंत्री जी से भी इन लोगों ने मिलने का प्रयास किया लेकिन उसमें भी ये असफल रहे और उसके बाद इन लोगों ने मन बनाया आंदोलन करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी को इसकी जानकारी है कि उनका असंतोष अब भयंकर होता जा रहा है और निकट भविष्य में कोई अप्रिय घटना हो सकती है? क्या गृह मंत्री जी को इसकी जानकारी है और अगर जानकारी है तो इस संबंध में इन्होंने अब तक क्या उपाए किए हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता: महोदया, असंतोष होना तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है क्योंकि मैंने बताया है आपको कि दूसरी स्टेट्स में जो पुलिस है, उसको भी राशन एलाऊंस की सुविधा मिलती है, जो इनको नहीं मिल रही है। ये 54,000 लोग हैं दिल्ली पुलिस में। It is a big force. महोदया, माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे हैं कि जो यह असंतोष बढ़ रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ असाधारण होने वाला है, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। मैंने इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है, मैं अभी उन्हीं से बातचीत करके आ रहा हूं जिसके कारण मैं यहां आने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। यह बात सही है। हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे लेकिन अभी मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता।

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, we are discussing ration allowance for policemen. Now, law and order is a State subject and there is a demand from the Government of NCT of Delhi for putting the Delhi Police within its jurisdiction. Madam, we know that the law and order situation in Delhi is not good. In other States and UTs also the law and order machinery is with the State Governments. Only yesterday or the day before yesterday I read in the newspapers that there was a request from the State Assembly to transfer the Delhi Police to the State administration. Now, as the Central Government has failed to maintain law and order in the national capital, may I know from the hon. Home Minister whether he would consider transfer of the Delhi Police to the Government of the NCT of Delhi?

SHRI INDRAJIT GUPTA: Law and order in Delhi has been discussed on many occasions, Madam, and it is a situation which justifiably causes apprehension also in the minds of the citizens. It is not a very happy situation; that is true. But, then there are many factors responsible for it and I cannot go into all of them now again. Out of these 54,000 men, the House should know that about 18,000 men have to be divereted from their normal duties of maintaining law and order in order to give protection and security to VIPs and VVIPs-18,000 men, for all kinds of people who come into Delhi from outside on work, Chief Ministers, other Ministers, Governors, apart from other VIPs who reside in Delhi. There are strict rules, there are drills as to how many policemen have to be assigned for their protection, for their

security, how many men have to receive them at the airport and escort them all the time that they are in Delhi, take them round and all that. This takes away 18,000 men. This is a staggering figure.

We are, of course, working on an exercise how this can be reduced. In my opinion, it should be reduced. But, it is not very easy to do. So, there are many reasons for it. Another consequence of this is many of the police stations or *thanas* in Delhi are not adequately manned according to the prescribed strength because people have to be used for these other duties -- of course, many hon. Members also would not, perhaps, like to have it reduced; I don't know. Once we come out with our proposal, we will see what the reaction is. So, I would say, Madam, that law and order, of course, is the concern of the Delhi Police, no doubt, but we are trying our best to see how the situation can be improved.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, my question was whether they would transfer the police to the State authorities because law and order is a State subject. The Hon. Minister has justified that the situation is bad, but he has not replied to my question. ...*(Interruptions)*...

SHRI INDRAJIT GUPTA: I could not follow the question because...

SHRI JOHN F. FERNANDES: I wanted to know whether you would transfer the Delhi Police to the State authorities, i.e. the National Capital Territory of Delhi. There is a demand from that Government because you cannot handle the Delhi Police.

SHRI INDRAJIT GUPTA: That is an arrangement which has been made after a lot of discussion and a lot of cogitation. I don't think it necessarily follows that by transferring this police force to the State Government the law and order situation will improve. It may, but there are other factors which have to be taken into consideration.

श्री ओम प्रकाश कोहली: उनका सवाल तो दूसरा था। ..(व्यवधान)..

उपसभापति: एक मिनट, विजय कुमार मल्होत्रा जी, आप बोलिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: उपसभापति महोदया, मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी का सारा जवाब इस तरह से है जैसे कोई आपोजीशन का आदमी बोल रहा हो। आप अपनी टोटल हैल्पलैसनेस शो कर रहे हैं कि ..(व्यवधान)..

श्री इंद्रजीत गुप्त: वह लोग पेपर में यही छापेंगे।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Madam, I am putting this question.

आप कह रहे हैं कि जस्टीफाइड है। आप कह रहे हैं जरूर मिलना चाहिए। आप इसको समझते हैं कि 18 घंटे की ड्यूटी है। यह सब बातें हैं फिर भी नहीं हो रहा है। पांचवें पे कमीशन ने डिफेंस के मामले में हजारों नयी सुविधाएं उनको दी हैं। मुलायम सिंह जी ने घोषणा की, वह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं कि मैंने ढाई हजार करोड़ रुपये की और सहुलियतें उनको दिला दी हैं। अगर आप होम मिनिस्टर होकर इतनी हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं तो यह गवर्नमेंट कैसी है कि आप तो कह रहे हैं कि होना चाहिए और गवर्नमेंट कर नहीं रही है? दूसरा मैं यह जानाना चाहता हूं कि दिल्ली की गवर्मेंट ने अपने फंड्स में से जो राशन एक साल दिया था तो क्या उन्होंने रिकमेंड किया है कि इसको देना चाहिए? अगर आप नहीं दे सकते तो क्या आप दिल्ली गवर्नमेंट को पुलिस हैडओवर करने को तैयार हैं? फिर क्या वह देने के लिए तैयार हैं और आप इसके लिए तैयार हैं?

श्री इंद्रजीत गुप्त: मैंने नहीं कहा कि सैंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। मैंने कहा कि सैंट्रल पे कमीशन ने यह डिमांड रिजैक्ट कर दी है, ऑन सर्टेन ग्राऊंड्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी रिजैक्ट कर दी है। मैंने यह कहा है। मैंने यह नहीं कहा कि देने का सामर्थ्य नहीं है।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: What is happening?

SHRI INDRAJIT GUPTA: What is happening!

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने रिजैक्ट कर दी तो आप क्या कर रहे हैं? उनको मिल तो रहा नहीं है।

यानी वहां उन्होंने रिजैक्ट कर दी है और आप कह रहे हैं कि देना चाहिए जब कि उन्होंने रिजैक्ट कर दी है। What is the position now?

श्री इंद्रजीत गुप्त: मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि क्योंकि दूसरे राज्यों में पुलिस को यह सुविधा मिल रही है इसलिए ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल: दूसरे राज्यों को ही दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: यह तो कुछ जवाब नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री इंद्रजीत गुप्त: अच्छा हम दिल्ली सरकार को पूछेंगे कि क्या वह इसका पूरा बोझा लेने के लिए तैयार है कि नहीं। आज तक तो मुझे मालूम नहीं हुआ कि वह लोग देने को तैयार ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: महकमा उनके हवाले करेंगे तो देंगे। महकमा आपके पास रहे और पैसे वह देंगे। यह कर रहे हैं कि महकमा मैं चलाऊंगा, पैसे वह देंगे। यह क्या है? ...(**व्यवधान**)...

श्री इन्द्रजीत गुप्त: आप ही तो कह रहे हैं।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं, मैं यह कह रहा हूं। If you are prepared to hand over the Delhi Police to the Delhi Government, they are ready for it. ...*(Interruptions)*... Are you prepared for it? ...*(Interruptions)*...

SHRI INDRAJIT GUPTA: No, no, we are not prepared for it. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us go one by one.

श्री रामनाथ कोविन्द: महोदया, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है और यह कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला लम्बित है। इनके उत्तर से ऐसा लगता है कि दोनों में कंट्राडिक्शन है। मंत्री जी का कहना है कि हम देना चाहते हैं और यदि यह बात इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कही है तो संभवत् उनको कोर्ट जाने की जरुरत नहीं पड़ती। आज भी मैं चाहूंगा जैसे मेरे सम्माननीय मित्र ईश दत्त यादव जी ने कहा कि यदि सरकार वाकई में चिंतित है और उनके प्रति सिंसिअर है तो आज भी वह कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं कि यह जो राशन भत्ता है हम देने के लिए तैयार हैं और इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार का स्टेंड वह दिल्ली हाई कोर्ट में देने वाले हैं?

SHRI INDRAJIT GUPTA: His views will be conveyed to the Cabinet for approval. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.M. KRISHNA: Madam, the hon. Minister was pleased to say that a staggering number of 18,000 policemen ...*(Interruptions)*... We read in the newspapers that some of the VVIPs, including two former Prime Ministers of India, have gone on record to say — at least in the newspapers — that the protection, the SPG protection given to them may be withdrawn. Has the Government taken any steps to withdraw that protection?

SHRI INDRAJIT GUPTA: This matter is under active consideration. Whether any individual, particular individual, who has been given ...*(Interruptions)*... As you know, former PMs are given special protection; if any one of them individually expresses his objection to that or is prepared to do without it, the matter should certainly be taken into consideration. And we are reviewing the whole thing now again not only in the case of ex-Prime Ministers, but in the case of many other people also.

श्री ओम प्रकाश कोहली: महोदया, माननीय मंत्री जी ने यह बात कही कि कुल 54 हजार पुलिसकर्मी दिल्ली में हैं जिनमें से 18 हजार पुलिसकर्मी अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, देखभाल आदि में लगे रहते हैं और इस कारण से दिल्ली में कानून व्यवस्था पर पकड़ नहीं बन पा रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि यदि 18 हजार लोग अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की चिंता करने में लग जाते हैं और इस कारण 54 हजार में 18 हजार निकाल देने पर संख्या कम हो जाती है और उसकी वजह से दिल्ली में कानून व्यवस्था पर पकड़ नहीं आ पा रही है, तो क्या आप दिल्ली में पुलिस बल और बढ़ाने की बात सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे है?

SHRI INDRAJIT GUPTA: Yes, we are considering it because definitely it is necessary to augment the strength of the Delhi Police.

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, we are already suffering because we transferred electricity and water to the State Government. Every day due to these power-cuts the Parliament is suffering. ...*(Interruptions)*... Keeping in view the complexity of the National Capital and politicisation of State police force in different States by the political parties which are in power, will the Government stick to its guns by not transferring the Delhi Police to the Delhi Government? ...*(Interruptions)*... The Delhi Police should be under the control of the Central Government. ...*(Interruptions)*... Will the Government stick to this position?

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Even Kerala Police should also be taken over. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: Every police; whether it is Rajasthan or whether it is Kerala. ...*(Interruptions)*...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: I think you want to go back to even pre-namboodiripad days. ...*(Interruptions)*... What do you want to do? ...*(Interruptions)*...

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: They want to go back to the Imperial period. ...*(Interruptions)*... They want to go back to the British period. ...*(Interruptions)*...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Mr. Fernandes, it is better you educate your own colleague. ...*(Interruptions)*... The valid reasons given by Mr. Fernandes ought to be considered by Mr. Vayalar Ravi who had been a Home Minister in Kerala. ...*(Interruptions)*... Mr. Ravi, you had been Home Minister in Kerala.

Do you want to go pre-Namboodiripad days? ...*(interruptions)*... What do you want to do? ...*(Interruptions)*...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: यह इम्पीरियल और ब्रिटिश पीरिएड की ओर ले जाना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: I think, you better educate your own colleague, Mr. Fernandes...*(Interruptions)*... The valid reasons that you have given ought to be considered by a person like Mr. Gupta...*(Interruptions)*... Are you united again against Mr. Nayanar? ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, please, let the Home Minister answer...*(Interruptions)*...

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: It is in the Communist manifesto...*(Interruptions)*... It is a State subject and Delhi should be a full-fledged State. This is in the Communist manifesto and he is the Minister now ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Malhotra, please, let the Home Minister answer.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, we have also asked for Statehood for Pondicherry. So, Delhi and Pondicherry should be given full-fledged Statehood...*(Interruptions)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, it is strange that the Communists and the BJP are discussing about the Communist manifesto...*(Interruptions)*...

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Yes, I know it. The CPI and CPM manifestos say that Delhi should be a full-fledged State ...*(Interruptions)*...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में हम क्यों पड़े। सब लोग कहते हैं, मिस्टर फर्नांडिस भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं। यहां तो सब मांग करते हैं।...

उपसभापति: अच्छा, मंत्री जी खड़े हैं, उनको आप बोलने दीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: उनके दिल में है लेकिन वे अपने को निरीह महसूस करते हैं।...**(व्यवधान)**... मैं आपकी आज्ञा से बैठ गया हूं।

उपसभापतिः आप मेरी आज्ञा से खड़े हुआ करें।...(**व्यवधान**)... चतुर्वेदी जी, आपको खड़े होने के लिए आज्ञा चाहिए, बैठने के लिए चेयर की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदीः हमारी संस्कृति में तो यही है कि मैं आपकी आज्ञा लेकर ही बैठूं।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, *it is very difficult to restrain him.*

SHRI INDRAJIT GUPTA: Madam, I am sure, Mr. Chaturvedi knows very well that there were certain special considerations or factors — he may not agree with them, it is a different matter — which led to a decision being taken that the law and order in Delhi should not be handedover to the Delhi Government but that it should be kept in the control of the Centre and we have no reason, at present, to change that decision.

उपसभापतिः श्री टी॰ एन॰ चतुर्वेदी जी, अब आप मेरी आज्ञा से सवाल पूछ लीजिए।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदीः बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ बी॰ चव्हाणः ये खड़े रहते हैं...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदीः चव्हाण साहब मेरे मंत्री रहे हैं। मैं उनकी आज्ञा से वहां पर खड़ा रहता था और उनकी आज्ञा से ही बैठता था।..

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्देः पहले सामने खड़े रहते थे अब पीछे खड़े हैं।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदीः जो सरकारी अफसर होते हैं, उनकी यह आदत हो जाती है। आप भी पीछे बैठे हैं, पुलिस में रहे हैं।

उपसभापति महोदया, मैं बहुत गम्भीरता से गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने कहा है उसी में इस प्रश्न का, ईश दत्त यादव जी के प्रश्न का क्या औचित्य है वह अपने में स्पष्ट है। उन्होंने अपने दिल की भावना भी अपने शब्दों में, अपने ढंग से व्यक्त कर दी है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह मामला निलम्बित है। एक दफा पुलिस की हड़ताल दिल्ली में हुई थी और उसके बाद जस्टिस खोसला का एक कमीशन बैठा था और यह मामला तब से है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है और कोर्ट के सामने यह मामला चला गया है। इसीलिए वह किसी तरह से कोर्ट की अवमानना का सवाल नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो इसको फाइनेन्स मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री का मामला न बना करके इसको आप केबिनेट के स्तर पर कलेक्टिव रेसपांसिब्लिटी के अन्तर्गत, यह देखते हुए कि इस मामले की गम्भीरता कितनी है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ करने का प्रयत्न करें? यही मेरा आपसे प्रश्न है और निवेदन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः महोदया, मैंने अभी कहा था कि यह सीरियस मामला है और इस पर हम काफी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और करेंगे।

उपसभापतिः अब इस पर तो काफी सवाल-जवाब हो गये हैं। इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं है।

Question number 102 — the hon. Member absent.

SHRI S.B. CHAVAN: Madam, I would like the hon. Minister should reply to this question.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, in your own discretion, kindly allow this question to be answered by the hon. Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Member is not there.

SHRI V. NARAYANASAMY: In the absence of a Member, the Chair has got the discretion to allow the Minister to answer...*(Interruptions)*... Madam, knowing the importance of the question, kindly allow the hon. Minister to answer. The question is about misutilisation of funds allocated for anti-poverty programmes...*(Interruptions)*...

विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु निर्दिष्ट धनराशि को अन्यत्र व्यय किया जाना

*102. **श्री राम जेठमलानीः** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के